

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>31.10.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह उर्फ केवल, यादविंदर सिंह और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

हाल के तलाशी अभियानों के दौरान, ईडी ने कई अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के रिकॉर्ड बरामद किए और जब्त किए। एजेंसी ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह से संबंधित दो उच्च मूल्य की आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ कृषि भूमि के कई भागों की भी पहचान की। संदेह है कि ये परिसंपत्तियाँ, जिनका मूल्य करोड़ों में है, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न अपराध की आय (पी. ओ. सी.) के माध्यम से अर्जित की गई हैं।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर छिंदरपाल सिंह उर्फ केवल, उनके भतीजे यादविंदर सिंह, गोपाल लाल अंजना, भोला सिंह और हरजीत सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्रों के साथ जांच शुरू की।

जांच के अनुसार, छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह ने कथित तौर पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गोपाल लाल अंजना से अफीम की खरीद की थी। खेप का एक हिस्सा कथित तौर पर भोला सिंह, जसमीत सिंह और हरजीत सिंह को बेच दिया गया था, जबकि शेष मात्रा को हरियाणा पुलिस ने छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह के कब्जे से जब्त कर लिया था।

यह पाया गया कि यादविंदर सिंह और उनके चाचा छिंदरपाल सिंह गोपाल अंजना की सहायता से कई वर्षों से अफीम की खरीद और बिक्री में शामिल थे। इसके अलावा, यह स्वीकार किया गया है और पुष्टि की गई है कि गोपाल लाल अंजना लंबे समय से अफीम के अवैध व्यापार में लगे हुए थे। यह अत्यधिक संभव है कि गोपाल लाल अंजना ने अपने परिवार को दिए गए अफीम लाइसेंस का दुरुपयोग किया है और उपज के हिस्से का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध व्यापार के लिए किया है। जसमीत सिंह और हरजीत सिंह भी छिंदरपाल सिंह से उपभोग उद्देश्यों के लिए अफीम खरीदने की पुष्टि करते हैं।

अभिलेखों से आगे पता चला कि छिंदरपाल सिंह को पहले एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत 2 फरवरी, 2006 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसी अधिनियम की धारा 17 के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा 1 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी संख्या 68 के तहत एक अन्य मामले में भी उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

आगे की जांच जारी है।